सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 26, बुधवार, शाके 1944-अगस्त 17, 2022

Sravana 26, Wednesday , Saka 1944- August 17, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 27, 2022

जी.एस.आर.64 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 01.07.2013 से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 से संलग्न अनुसूची-I के अनुभाग-'ख' में शीर्ष 'पुलिस विभाग' के अधीन उप-शीर्ष '(vi) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (वायरलेस)' के अधीन क्र.सं. 2 और 3 में आयी विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हैड कांसटेबल	3200-4900	पीबी-1	5200-20200	10	2800	
3.	सहायक उप-निरीक्षक	4000-6000	पीबी-2	9300-34800	11	3600	

[सं. एफ.14(63)एफ.डी/रूल्स/2008]

राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार शर्मा,

शासन सचिव।

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
Notification
Jaipur, February 27, 2022

G.S.R.64 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (first amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from 01.07.2013.

2. Amendment of Schedule-I.- the existing entries at S.No. 2 and 3 in Section- 'B' of Schedule-I appended to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, appearing under sub-heading **'(vi) Rajasthan Police Subordinate Service wireless'** and under heading **'POLICE DEPARTMENT',** shall be substituted by the following, namely,.-

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Head Constable	3200-4900	PB-1	5200-20200	10	2800	
3	Assistant Sub-Inspector	4000-6000	PB-2	9300-34800	11	3600	

[No. F. 14(63)FD/Rules/2008]
By order of the Governor,

Sudhir Kumar Sharma,
Secretary to the Government
Finance (Budget).

Government Central Press, Jaipur.